पाँच रूपये
पाँच रूपये
सत्यमेव जयते
FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

नम्बर-1, दिनांक 18/10/1996

सच्ची प्रतिलिपि

भूसरा महिला विकास समिति

न्यास पत्र की घोषणा

§1§	न्यासकर्ता	:	रामसती देवी पति का नाम कैलाश प्रसाद सिंह, ग्राम - भूसरा, पोस्ट - हसना, भाया - बोचहाँ, जिला - मुजफ्फरपुर ।
§2§	न्यास का नाम और पता	:	भूसरा महिला विकास समिति ग्राम - भूसरा, पोस्ट - हसना, भाया - बोचहाँ, जिला - मुजफ्फरपुर ।
§3§	न्यास की प्रवृति	:	भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत ट्रस्टडीड §न्यास पत्र§
§4§	कार्यक्षेत्र	:	इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत होगा । विशेष परिस्थिति में जन कल्याण हेतु विश्व के किसी भी भू-भाग में कार्य किया जा सकता है ।
§5§	वित्तीय वर्ष	:	न्यास का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 31 मार्च तक होगा।

न्यास पत्र

§6§ प्रस्तावना : विश्व की आधी आबादी औरतों की है । लेकिन किसी न किसी रूप में वे शोषण उत्पीड़न एवं अधिकारी से बंचित जिन्दगी जीने को मजबूर होती रही है, कहीं भी किसी क्षेत्र में हिंसा अशांति तनाव होने पर उसका सीधा प्रभाव उन पर पड़ता है । किसी भी परिस्थिति में घर की तबाही का असर उन्हें ही झेलना पड़ता है ।

जिस घर परिवार या समाज ने स्त्री शक्ति के महत्व को समझा है उसका विकास उतना

ATTESTED
BINAY KUMAR
NOTARY PUBLIC
MUZAFFARPUR

BINAY KUMAR
SEAL
NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR).

समुचित विकास के लिए स्त्री पुरूष को बराबरी का दर्जा मिलना हर क्षेत्र में जरूरी है ।

हमारी महिला आज न संगठित है और न तो व्यवस्थित है । इसलिए विकास की कल्पना करना कपोल कल्पना है।

भूसरा महिला विकास समिति महिलाओं को संगठित, प्रशिक्षित, व्यवस्थित अपने हकों को अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में पहल करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगी ।

ऐसे तो यह संस्था 1990 से ही अपने संगठनों के द्वारा महिलाओं के बीच चेतना जागरण, संगठित होने का वातावरण एवं निरक्षरता निवारण, समानता के क्षेत्र में कानून, हस्तकला एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्थक पहल करती रही है ।

अब संस्थान पूर्णरूपेण पंजीकृत कराकर सत्य,प्रेम, करूणा पर आधारित समाज निर्माण की दिशा में निरन्तर पहल करती रहेगी । पड़ोसीपन का विकास राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना तथा विश्व बंधुत्व एवं मानव कल्याण के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेगी ।

तत्काल दान के रूप में 2,000/- (दो हजार) रूपये विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त हुआ है । बाद में और भी श्रोतो से चंदा, दान, अनुदान प्राप्त न्यास के हित में किया जायेगा।

भूसरा ग्राम की कर्मठ एवं समर्पित समाजसेवी समिति ने महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए इस न्यास का गठन किया है ।

BINAY KUMAR NOTARY-MUZAFFARPUR (BIHAR) SEAL

विश्व में कहीं भी महिलाओं एवं बच्चों पर अगर अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न होती है तो भूसरा अपने साथियों के साथ उन आधारभूत समस्याओं के जड़ का पता लगाकर उसके समाधान के लिए सतत् शान्ति एवं शक्तिमय तरीके से कार्य करेगी ।

ईमानदारी, समझदारी, वफादारी, जिम्मेदारी एवं जवाबदेही से बिना लाभ के उद्देश्य से राष्ट्र हित, एकता एवं अखण्डता, समाजिक एवं सद्भाव हेतु न्यास सदा सब कार्य करती रहेगी ।

<u>न्यास/संस्था का नाम</u> : न्यास/पंजीकृत इस संस्था का नाम होगा भूसरा महिला विकास समिति ।

<u>कार्यालय</u> : ग्राम - भूसरा, पो0 - हसना, भाया - बोचहाँ, जिला - मुजफ्फरपुर ।

<u>प्रधान कार्यालय</u> : भूसरा ।

<u>संयोजन कार्यालय</u> : अविधि, स्टेट बैंक कॉलोनी-02
बेली रोड,पटना - 14

<u>उद्देश्य एवं कार्यक्रम</u> :

1- महिला विकास की जननी है । सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक दर्द को भोगती हुई विकास से वंचित कमजोर असहाय वर्ग की महिलाओ को सबला की भूमिका मे लाना संस्थान का मूल उद्देश्य है ।

BINAY KUMAR
SEAL
(BIHAR)

2- महिलाओं के विकास एवं समानता हेतु ग्रामीण संगठन खड़ा करना एवं शिक्षण प्रशिक्षण देना । तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाना ।

3- कामकाजी महिलाओं का संगठन, उनके लिए ज्ञान कुशलता, विकास, मनोरंजन शिक्षण-प्रशिक्षण एवं सुझ - बुझ के लिए आवास, स्वास्थ्य आदि की समुचित व्यवस्था करना।

4- बाल विकास हेतु आंगन बाड़ी, वालवाड़ी, पालनाघर एवं शिक्षण केन्द्र का निर्माण तथा आवासीय विधालय का संचालन करना ।

5- विधवा परित्यकता एवं सामाजिक रूप से शोषित उत्पीड़ित महिलाओं को हुनर सिखाना उसे पैरों पर खड़ा करने हेतु स्वरोजगार का शिक्षण, प्रशिक्षण छात्रावास एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना ।

6- पड़ोसीन का विकास, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक न्याय, कल्याण एवं साम्प्रदायिक सद्‌भाव तथा विश्वशान्ति की भावना का प्रचार-प्रसार और उसे मजबूत करने के लिए तत्सम्बन्धी कार्य करना ।

7- आधुनिक खेती के दुष्प्रभाव को रोकना तथा जैविक कृषि के विकास हेतु किसानों के बीच शिक्षण - प्रशिक्षण संक्षिप्त चर्चा, विचार गोष्ठी, कर्मशालाशोध, आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

8- पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्दन हेतु आवश्यक कार्य करना एवं करवाना ।

9- विकलांगों, वृद्धो एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गो तथा जरूरत मंद लोगो का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृति, नैतिक एवं अन्य मानवीथ गुणो का विकास कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना ।

BINAY KUMAR NOTARY-MUZAFFARPUR (BIHAR) SEAL

10- ग्रामपयोगी तकनीक का संरक्षण एवं विकास करना ।

11- आदिवासी हरिजन, पिछड़े एवं गरीब लोगों के आर्थिक नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण एवं आवश्यक कार्यक्रम चलाना ।

12- लघु एवं सीमान्त किसानों के आवश्यक सहयोग प्रदान करना । कृषि विकास कार्य हेतु खाद, बीज, जुताई, दवा, आदि की व्यवस्था करना तथा उनके लिए उन्नत औजारों का निमार्ण प्रदर्शन और विज्ञापन की व्यवस्था करना ।

13- सिंचाई की सुविधा हेतु परम्परागत जल श्रोतों की खोज कर उसकी उन्नति करना, कुँआ, तालाब, बाँध, नाला, बोरिंगपैन आदि का निर्माण एवं विकास तथा समुचित जल प्रबन्धन की व्यवस्था करना । जल कृषि की तकनीकी को विकसित करना ।

14- प्राथमिकी शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, ग्रामीण अनपढ़ बच्चे-बच्चियों एवं प्रौढ़ावस्था वाले लोगों के लिए अनौपचारिक/औपचारिक माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु संस्थान, वाचनालय, पुस्तकालय, अनाथालय एवं आवासीय विधालय की संचालन करना ।

15- सभी बच्चों में शिक्षा सुनिश्चित करना प्रोढ़ों हेतु व्यस्क शिक्षा कार्यात्मक साक्षरता, युवजनों एवं व्यस्कों के बीच उच्चतर साक्षरता, अनवरत शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना ।

16- खेल-कूद, लोक सांस्कृति, संगीत एवं परम्परागत कला कौशल संरक्षण एवं विकास करना ।

17- सांस्कृतिक एवं संचार, दृश्य एवं श्रवण सम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक क्रिया कलापों का संचालन करना ।

18- लोक जागरण हेतु शिविर सेमिनार, भी शिक्षण प्रशिक्षण, सांस्कृति कार्यक्रम आदि का आयोजन करना तथा पठन-पाठन सामग्रियों का विकास एवं प्रकाशन करना ।

19- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना मातृ एवं शिशुओं का स्वास्थ्य संरक्षण देना तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित वे सारे कार्यक्रम चलाना जो अति आवश्यक प्रतीत हो।

20- पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु कुँआ, चापाकल एवं अन्य पेयजल संसाधन का निर्माण,

BINAY KUMAR NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR) SEAL

21- पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन आदि के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता को उपलब्ध करना ।

22- बेरोजगारों के लिए हुनर प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्राप्त कराने में सहयोग देना ।

23- ग्रामीण के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आदि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, संचालन करना तथा कुल मिलाकर खादी ग्रामोद्योग के जरिये ग्रामीण विकास करना ।

24- संस्थान अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु, भेंट, खरीद, विनिमय, पट्टा या किसी भी प्रकार से जमीन, मकान तथा किसी भी चल या अचल सम्पत्ति को ग्रहण या प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा ।

25- मकान बनाने, व्यवस्थित करने, बदलने, विस्तार करने मरम्मत करने या बढ़ाने, आकृति परिवर्तन, बिजली, पानी, नाला आदि सारे सुविधाओं प्रदान करने तथा उपयोग के लिए विशेषताओं की सम्मति हेतु हुए आवश्यक सुविधाएँ उस मकान में देने के लिए अधिकृत करना ।

26- संस्थान अपने चल एवं अचल सम्पत्ति को बेचने, व्यवस्थित करने, विनिमय करने,गिरवी बंधक रखने, समर्पण करने, पट्टा देने एवं किसी भी प्रकार का व्यापार करने हेतु अधिकृत होगी ।

27- संस्था बिना किसी सुरक्षा या असुरक्षा के साथ बंधक ऋण अनुदान के द्वारा संस्थान के चल अचल सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से उधार लेने या राशि एक त्रित करने के लिए अधिकृत होगा ।

28- संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी केन्द्र, उपकेन्द्र खोलने एवं उन सभी प्रकार के कार्यों के लिए अधिकृत होगी जो ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आता है ।

29- संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की सभी आवश्यक खर्च करेगी जो किसी प्रकार के विधि सम्मत हो ।

BINAY KUMAR
SEAL
NOTARY-MUZAFFARPUR (BIHAR)

30- संस्थान मुनाफे को अपने-अपने उद्देश्यो की अनुरूप कार्योंको बढ़ानेमे लगायेगी,सदस्यों के बीच वितरित नहीं करेगी ।

31- संस्था अपने उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किसी भी सनुदेशीय, देशी, विदेशी, सरकारी,गैरसरकारी, आयकर, दाताओ, संस्थाओ से सम्पर्क एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगी ।

32- लघुता के सौन्दर्य, मानव एवं दबाव की प्रक्रिया तथा आलस्य का मुख छोड़ कर्म का आनन्द लेना एवं इसकी शिक्षा एवं उस पर चलने के लिए संस्था अधिकारियो कार्यकर्ताओ एवं अन्य लोगो को उत्साहित तथा प्रोत्साहित करेगी ।

33- नशा खोरी के विरुद्ध जन चेतना पैदा करना इसके दुष्प्रभाव से लोगो को अवगत कराना एवं अदतन नशा खोर का मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय व्यवस्था कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना ।

34- संस्था कृषि श्रमिको, बाल श्रमिको, महिला श्रमिको के हो रहे शोषण के विरुद्ध जन जागरण का काम करेगी । पुनः उसके उचित रोजगार एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।

35- विकास के लिए नर-नारी समान भागीदारी से नई समाज रचना हेतु न्यास सदा कार्य करेगी ।

36- संस्थान अपने उद्देश्यो की पूर्ति के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागो स्वायतशासी निकायो देश-विदेश के विशेषज्ञो की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति अपने नियमो के तहत कर सकती है ।

37- नीति और कार्यक्रम को सुनिश्चित करने तथा समस्त कार्य व्यवहार के लिए समिति/ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होगी ।

VINAY KUMAR NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR) SEAL

क्र०पृ०उ०------8

संस्था के प्रथम प्रबन्द समिति/बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मे निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिनका नाम, स्थायी पता एवं पद नीचे दिया गया है :-

क्र0सं0	नाम	पता	योग्यता	पेशा	पद
01-	निर्मला देवी	भूसरा, पोस्ट - हसना, जिला - मुजफ्फरपुर ।	दशम	समाजसेवी	अध्यक्ष
02-	पूनम कुमारी	ग्राम एवं पोस्ट -जोगियारा, जिला - दरभंगा ।	एम0ए0	समाजसेवी	सदस्य
03-	विभा देवी	ग्राम एवं पोस्ट - छतौनी, जिला - शिवहर ।	दशम	समाजसेवी	सदस्य
04-	रामसती देवी	ग्राम - भूसरा,पो0 - हसना, जिला - मुजफ्फरपुर ।	पंचम	समाजसेवी	सचिव
05-	विजया राज	ग्राम एवं पोस्ट - तेपुन्द, वाराणसी ।	एम0ए0	समाजसेवी	सदस्य
06-	बनारसी देवी	ग्राम एवं पोस्ट - हसना, जिला - मुजफ्फरपुर ।	साक्षर	समाजसेवी	सदस्य
07-	कुसमी देवी	ग्राम - भूसरा, पो0- हसना, जिला - मुजफ्फरपुर ।	साक्षर	समाजसेवी	सदस्य
08-	आशा देवी	शिवदासपुर, मुजफ्फरपुर ।	सांतवा	समाजसेवी	सदस्य
09-	माला देवी	गन्नीपुर, ग्राम एवं पो0 - वैशाली ।	एम0ए0	समाजसेवी	सदस्य

BINAY KUMAR
SEAL
NOTARY-MUZAFFARPUR (BIHAR)

भुसरा महिला विकास समिति

न्यास की नियमावली

1- **परिभाषाएँ :**

(क)	समिति से अभिप्राय	:	भुसरा महिला विकास समिति है ।
(ख)	समिति से अभिप्राय	:	प्रबंध समिति है ।
(ग)	पदाधिकारी का अभिप्राय	:	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव होंगे ।
(घ)	वर्ष से अभिप्राय	:	01 अप्रैल से 31 वीं मार्च ।
(ङ)	एक्ट से अभिप्राय	:	इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982

2- **सदस्यता :**

कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला जो कम से कम 18 वर्ष की आयु रखते हो एवं संस्था के उद्देश्य एवं नियम कानून का पालन करना स्वीकारते हैं, आवेदन देकर एवं उसकी स्वीकृति प्रबंध समिति से मिलने पर संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे ।

(क) संस्थापक सदस्य

(ख) सामान्य सदस्य ।

(क) **संस्थापक सदस्य :**

वैसे सदस्य जिसका नाम एवं न्यास पत्र कालम नं0-04 मे अंकित है एवं जिन्होने समिति गठन मे योगदान किया है, समिति के संस्थापक सदस्य कहलायेंगे ।

(ख) **सामान्य सदस्य :**

जिन सदस्यो का चयन आवेदन पत्र के जरिये प्रबन्ध समिति के स्वीकृति से हुई तो वे समिति के सामान्य सदस्य होंगे । संस्थापक सदस्यों के लिए सदस्यता शुल्क की राशि देय नहीं होगी । सामान्य सदस्य की श्रेणी मे आने वाले सदस्य प्रवेश शुल्क के बतौर 21/- रुपया जमा करेंगे । वार्षिक शुल्क की राशि का निर्धारण प्रबंध समिति समय - समय पर किया करेगी।

SEAL
VINAY KUMAR
NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR)

3- <u>सदस्यता की समाप्ति</u> :

सदस्यों की सदस्यता निम्न कारणों से समाप्त की जा सकेगी ।

(1) त्याग पत्र देने पर,

(2) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर,

(3) मृत्यु या पागल हो जाने पर,

(4) समिति के नियम कानून का उल्लंघन करने पर,

(5) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर,

(6) निर्धारित सदस्यता शुल्क न देने पर,

(7) लगातार तीन बैठकों में बगैर सूचना के भाग न लेने पर ।

4- <u>कार्यकाल</u> :

प्रथम चुने गये पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष की होगी । उसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष पर चुनाव किए जा सकेंगे ।

5- <u>आय का स्त्रोत</u> :

× समिति निम्न स्त्रोतों से अपना कोष जमा करेगी :-

(क) सदस्यता शुल्क,

(ख) प्रवेश शुल्क,

(ग) चन्दा, अनुदान एवं अंशदान,

(घ) श्रम,

(ङ) सेवा शुल्क,

(च) उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से,

(छ) खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ाने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार, बैंक ऐसी कोई भी संस्था जो वित्तीय सहायक खादी व ग्रामोद्योग को बैठाने हेतु देती है उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त कर ।

BINAY KUMAR * NOTARY (BIHAR) SEAL

कृ0पृ0उ0....... ।।

6- **आम सभा :**

आम सभा समिति के सभी दोनो तरह के सदस्यो को मिलाकर एक आम सभा होगी जो वर्ष में कम से कम एकबार मिलेगी और समिति के कार्यो को बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देगी ।

7- **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

§1§ प्रबन्ध समिति का चुनाव करना ।

§2§ पदाधिकारियो का चुनाव करना ।

§3§ सदस्यता की स्वीकृति या अस्वीकृति करना ।

§4§ विधान संसोधन एवं नियम उप नियम बनाना ।

§5§ आय - व्यय लेखा वजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना ।

§6§ ऑडिट रिर्पोट पर विवेचना करना तथा खादी आयोग खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अन्य वित्तीय सहायता देने वाली संस्था से प्राप्त किसी भी सूचना पर विचार करना ।

§7§ आम सभा के बैठक की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व दी जाएगी ।

§8§ आम सभा की बैठक मे पूरे सदस्यो की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा बैठक स्थगित समझी जायेगी ।

§9§ सचिव आम सभा की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत होंगे, अगर किसी कारणवस सचिव बैठक बुलाते है तो अध्यक्ष बैठक बुला सकते हैं ।

§10§ वित्तीय वर्ष समाप्ति के तीन माह बाद बैठक बुलाना आवश्यकता समझा जायेगा।

§11§ अगर अध्यक्ष एवं सचिव निर्धारित अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो सदस्यों का मनोनीत प्रतिनिधि बैठक बुला सकते हैं ।

8- **प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :**

§1§ प्रबन्ध समिति में कम से कम 9 और अधिक से अधिक 15 सदस्य होंगे ।

§2§ प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष मे कम से कम दो बार हुआ करेगी ।

§3§ 2/3 सदस्यो की उपस्थिति या पाँच का कोरम बैठक के लिए आवश्यक होगी अन्यथा

BINAY KUMAR NOTARY (BIHAR) SEAL

§4§ किसी भी बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व पाने का हक होगा ।

§5§ समिति के समस्त क्रिया-कलापो एवं चल-अचल सम्पत्ति के शासन का उत्तरदायी होगा ।

§6§ ऑडिर्टस की नियुक्ति करना ।

§7§ आवश्यकता पड़ने पर विशेष पदाधिकारियो, उप-समितियो की नियुक्ति करना ।

§8§ खादी एवं ग्रामोघोग वस्तुओं के उत्पादन बिक्री एवं समुचित रख-रखाव की व्यवस्था करना ।

§9§ ऐसे सभी काम करना जो समिति के व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो ।

9- पदाधिकारियो के अधिकार एवं कार्य :

§क§ अध्यक्ष :

1- प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
2- विशेष परिस्थिति मे अपना निर्णय मत देना ।

§ख§ उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे सभा की अध्यक्षता करना ।

§ग§ सचिव :

1- आम सभा एवं प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना एवं कार्यवाही पुस्तिका मे दर्ज करना ।
2- समिति की ओर से पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क करना ।
3- कार्यकत्ताओं की नियुक्ति एवं मुक्ति करना ।
4- समिति के सारे कागजात अपने अधीन रखना ।
5- समिति की ओर से ऋण अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना एवं समिति के विकास के लिए खर्च करना ।
6- लेखा विवरणी तैयार करना एवं आम सभा मे प्रस्तुत करना ।
7- प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार संस्था के सारे क्रिया कलापो संचालित करना

BINAY KUMAR NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR) SEAL

10- **संशोधन :**

नियमावली में कोई संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यो द्वारा पारित होने पर किया जायेगा ।

11- **अंकेक्षण :**

संस्था के आय व्यय का अंकेक्षण प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से कराया जायेगा ।

12- **बैंक खाता का रख रखाव :**

समिति का धन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में समिति के नाम खाता खोलवाकर रखा जायेगा । खाता दो व्यक्ति अध्यक्ष सचिव एवं प्रबंध समिति के सदस्यो या समिति मे कार्यरत सदस्यो मे से किसी दो के नाम से खोला जायेगा । समिति के लिए बैंक खाते से धन राशि की निकासी उनमे से दो व्यक्तियो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी जिसमें एक हस्ताक्षर के अध्यक्ष या सचिव का होना अनिवार्य है ।

13- **अन्यान्य :**

1- समिति द्वारा अथवा समिति के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई अध्यक्ष या सचिव के नाम से होगी ।

2- समिति द्वारा अर्जित अतिरिक्त मार्जिन मुनाफा की राशि समिति के निर्देशानुसार केवल कारीगरो के हित में खर्च करेगी ।

3- समिति अपनी चल संपत्ति तथा अचल संपत्ति के बारे में मांगेगे अथवा उस प्रकार के अन्य कोई दास्तावेज जो आगे के नीति के सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया है निष्पादित कर ऋण प्राप्त करेगी ।

4- समिति बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगी तथा निधि की सुरक्षा हेतु बैंक के पक्ष में समिति के चल अचल संपत्ति का सम्यक बंधक भाराक्रान्त की कार्रवाई निष्पादित कर सकेगी ।

BINAY KUMAR ★ NOTARY-MUZAFFARPUR (BIHAR) ★ SEAL

10- **संशोधन :**

नियमावली में कोई संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा पारित होने पर किया जायेगा ।

11- **अंकेक्षण :**

संस्था के आय व्यय का अंकेक्षण प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से कराया जायेगा ।

12- **बैंक खाता का रख रखाव :**

समिति का धन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में समिति के नाम खाता खोलवाकर रखा जायेगा । खाता दो व्यक्ति अध्यक्ष सचिव एवं प्रबंध समिति के सदस्यों या समिति मे कार्यरत सदस्यो मे से किसी दो के नाम से खोला जायेगा । समिति के लिए बैंक खाते से धन राशि की निकासी उनमे से दो व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगी जिसमें एक हस्ताक्षर के अध्यक्ष या सचिव का होना अनिवार्य है ।

13- **अन्यान्य :**

1- समिति द्वारा अथवा समिति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई अध्यक्ष या सचिव के नाम से होगी ।

2- समिति द्वारा अर्जित अतिरिक्त मार्जिन मुनाफा की राशि समिति के निर्देशानुसार केवल कारीगरो के हित में खर्च करेगी ।

3- समिति अपनी चल संपत्ति तथा अचल संपत्ति के बारे में मांगेगे अथवा उस प्रकार के अन्य कोई दास्तावेज जो आगे के नीति के सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया है निष्पादित कर ऋण प्राप्त करेगी ।

4- समिति बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगी तथा निधि की सुरक्षा हेतु बैंक के पक्ष में समिति के चल अचल संपत्ति का सम्यक बंधक भाराक्रान्त की कार्रवाई निष्पादित कर सकेगी ।

BINAY KUMAR
SEAL
NOTARY-MUZAFFARPUR (BIHAR)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सच्ची प्रतिलिपि

आज दिनांक 09.02.2013 को दिनांक 27.08.2012 के प्रस्ताव संख्या-02 के आलोक में भुसरा महिला विकास समिति के आमसभा एवं प्रबन्ध समिति की बैठक सहचुनाव किया गया है। जिसमें निम्नलिखित प्रबन्ध समिति सदस्य एवं पदाधिकारियों का चुनाव किया गया जिसकी सूची, पता एवं पद नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	नाम	पता	योग्यता	पेशा	पद
01	निर्मला देवी	ग्राम-भुसरा, पो०-हसना जिला-मुजफ्फरपुर-843103	दशम्	समाजसेवी	अध्यक्ष
02.	रामरती देवी	ग्राम भुसरा, पो० हसना जिला-मुजफ्फरपुर-843103	पंचम्	समाजसेवी	सचिव
03.	पूनम कुमारी	मो०-शिवपूरी, लेन नं०-1 दामोचौक, मुजफ्फरपुर-842001	एम.ए.	समाजसेवी	सह-सचिव
	कुसमी देवी	ग्राम-भुसरा, पो०-हसना जिला-मुजफ्फरपुर-843103	साक्षर	समाजसेवी	सदस्य

ATTESTED

Abhimanyu Prasad
Notary And Advocate

05.	आशा देवी	ग्राम+पो० शिवदासपुर,भाया-कटरा मुजफ्फरपुर 843321	सातवां	समाजसेवी	सदस्य
06.	विजया राज	ग्राम+पो०-तेपुन्द वाराणसी	एम.ए.	समाजसेवी	सदस्य
07.	अर्चना कुमारी	ग्राम-भुसरा, पो०-हसना जिला-मुजफ्फरपुर-843103	बी.ए.	समाजसेवी	सदस्य
08.	नूतन देवी	ग्राम-भुसरा, पो०-हसना जिला-मुजफ्फरपुर-843103	मैट्रीक	समाजसेवी	सदस्य
09.	ममता कुमारी	ग्राम+पो०-धनौड़, कटरा जिला-मुजफ्फरपुर-843321	आई.ए.	समाजसेवी	सदस्य

==

दिनांक 09.02.2013 के बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 की सच्ची प्रतिलिपि है।

सचिव

सचिव

ATTESTED

Abhimanyu Prasad
Notary And Advocate

GOVT. OF BIHAR

Reg. No-

Identified by

ATTESTED

Abhimanyu Prasad
Notary And Advocate

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये भारत Rs.20

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY SHRI KUMAR MUZAFFARPUR Reg. No-4516J/18 Exp. Date-11.06.2023 GOVT. OF BIHAR

NOTARY SHRI KUMAR MUZAFFARPUR Reg. No-4516J/18 Exp. Date-11.06.2023 GOVT. OF BIHAR

बिहार BIHAR

08AA 194128

[illegible]

Sl.No.........Book No.

14 DEC 2019

सच्ची प्रतिलिपि

आज दिनांक 05.07.2019 को दिनांक 15.04.2018 के प्रस्ताव संख्या 05 के आलोक में भुसूरा महिला विकास समिति के आमसभा एवं प्रबंध समिति की बैठक सह चुनाव किया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रबंध समिति सदस्य एवं पदाधिकारियों का चुनाव किया गया जिसका सही पता एवं पद नीचे दिया गया है।

क्र.स.	नाम	पता	योग्यता	पेशा	पद
1.	निर्मला ऐवी	ग्राम–भुसूरा, पो0–हसना जिला–मुजफ्फरपुर 843103	दशम्	समाजसेवी	अध्यक्ष
2.	पूनम कुमारी	शिवपुरी लेन नं0 01 दामु चौक, जिला–मुजफ्फरपुर842001	एम.ए. पी.एच.डी.	समाजसेवी	सचिव
3.	अर्चना कुमारी	ग्राम–भुसूरा, पो0–हसना जिला–मुजफ्फरपुर 843103	बी.ए.	समाजसेवी	सह–सचिव

4.	कुसमी ऐवी	ग्राम–भुसूरा, पो0–हसना जिला–मुजपफरपुर 843103	साक्षर	[illegible]	सदस्य
5	नुतन देवी	ग्राम–भुसूरा, पो0–हसना जिला–मुजपफरपुर 843103 जिला–मुजपफरपुर842001	मैट्रीक	समाजसेवी	सदस्य
6.	विजया राय	ग्राम+पो0–तपुन्न वाराणसी	एम.ए.	समाजसेवी	सदस्य
7.	आशा देवी	ग्राम+पो0–शिवदासपुर भाया–कटरा जिला–मुजपफरपुर 843321	सातवां	समाजसेवी	सदस्य
8.	ममता कुमारी	ग्राम+पो0–धनौर भाया–कटरा जिला–मुजपफरपुर 843321	आई.ए.	समाजसेवी	सदस्य
9.	कौसर जबीन	जक्कारिया कॉलनी मस्जिद के पीछे सादपुरा, मुशहरी जिला–मुजपफरपुर 842002	आई.ए.	समाजसेवी	सदस्य

दिनाक 05.07.2019 के बैठक के प्रस्ताव संख्या 02 की सच्ची प्रतिलिपि है।

NOTARY
KESHRI KUMAR
MUZAFFARPUR
Rug.No-4516J/18
Exp. Date-11.08.2023
GOVT. OF BIHAR

Punam Kumari
सचिव
... महिला विकास समिति
..., पो0–हसना
जिला–मुजफ्फरपुर–843103

ATTESTED

KESHARI KUMAR
NOTARY Reg. No.-4516J/18
Expiry Date- 11.08.2023
MUZAFFARPUR (BIHAR)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY GOVT OF BIHAR

बिहार BIHAR 7258 [illegible] F 434983

सच्ची प्रतिलिपि

आज दिनांक 21.01.2021 के प्रस्ताव सं0 04 एवं 06 के आलोक में भूसरा महि
विकास समिति के आम सभा एवं प्रबंध समिति की बैठक सह चुनाव किया गया
जिसमें निम्नलिखित प्रबंध समिति सदस्य एवंपदाधिकारियों का चुनाव किया
जिसकासही पता एवं पद नीचे दिया जाता है।

क्रo सं0	नाम	पता	योग्यता	पेशा	पद
(1)	निर्मला देवी	ग्राम-भूसरा, पो0 हसना जिला-मुजफफरपुर 843103	दशम्	समाजसेवी	अध्यक्ष
(2)	कैलाश प्र0 सिंह	ग्राम भुसरा, पो0 हसना, जिला मुजफफरपुर-843103	आई0ए0	समाजसेवी	सचिव
(3)	नूतनदेवी	ग्राम- भूसरा पो0 हसना, जिला-मुज0 843103	मैट्रीक	समाजसेवी	सदस्य
(4)	अर्चना कुमारी	ग्राम- भूसरा, पो0 हसना, जिला-मुजफफरपुर	बी0ए0	समाजसेवी	सदस्य
(5)	कुशामी देवी	ग्राम-भूसरा पो0 हसना जिला-मुजफफरपुर	साक्षर	समाजसेवी	सदस्य

§2§

§6§ विजय राय	ग्राम- पो0 तपुन [illegible] वाराणसी	[illegible]ए0	समाजसेवी	सदस्य
§7§ आशा देवी	ग्राम- पो0 शिव दासपुर, भाया- [illegible], कटरा जिला-मुजफ्फरपुर 843321	सातवांपास	समाजसेवी समाज सेवी	सदस्य सदस्य
§8§ संजू देवी	ग्राम- भूसरा पो0 हसना, जिला मुजफ्फरपुर 843103	आई0ए0	समाजसेवी	सदस्य
§9§ रेखा देवी	ग्राम मणिपुर भूसरा पो0 हसना जिला-मुजफ्फरपुर 843103	[illegible] मैट्रीक	[illegible] समाजसेवी	[illegible] सदस्य

दिनांक 21.01.2021 के बैक के प्रस्ताव सं0 4एवं5 की सच्ची प्रतिलिपि

ATTESTED

NOTARY · GOVT OF BIHAR